न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री, आर०ए०एस०

अपील संख्या 53/2017

1– डुंगर राम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी झरडिया तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान

.....अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री दुर्जाराम पूनिया व ओम प्रकाश पूनिया अधिवक्तागण, अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार निम्बी जोधा बअनुवान राज0 सरकार जरिये पटवारी हल्का भरनांवा बनाम डुंगरराम प्रकरण संख्या 06/2017 अन्तर्गत धारा 91 राज0भू– राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 24.05.2017

निर्णय

दिनांक– 15.06.2018

अपीलार्थी की ओर से अपील का संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है:–

1. यह है कि पटवारी हल्का भरनावा की ओर से एक लिखित रिर्पोट अपीलार्थी डुंगरराम पुत्र दया राम जाति जाट निवासी झरडिया तहसील लाडनूं जिला नागौर राज. के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान उप तहसीलदार साहब निम्बी जोधा के समक्ष इस इस आश्य की प्रस्तुत की की ग्राम झरडिया के खसरा नम्बर 70 रकबा 04.01 बीघा मे से रकबा 02 बीघा किस्म ग.मु. रास्ता की भूमि पर सम्वत 2023 मे अतिक्रमण कर खेत मे मिला कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 राज.भू–राजस्व 1956 मे प्रकरण दर्ज किया गया।
2. यह है कि अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 राज.भ–राजस्व अधिनियम 1956 मे

मय अपने वकील के साथ उपस्थित हुआ मगर नायब तहसीलदार अवकाश पर होने से जबाब हेतु पेशी दिनांक 16.02.2017 को नियत की गई। पेशी दिनांक 27.02.2017 को अपीलार्थी ने अपना जबाब पेश किया व निवेदन किया की मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई जो खुली व चालू हालत में है। और मौके पर ग्रेवल सड़क बन गई तो मौके पर रास्ता की कोई जमीन ही नही है इसलिए पटवारी हल्का से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। जिस पर नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का को पुनः रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया मगर न तो पटवारी ने रिपोर्ट पेंश की और न पटवारी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ। न अपीलार्थी के बयान आदि लिए और दिनांक 24.05.2017 को पत्रावली पटवारी की रिपोर्ट पेश करने के इन्तजार में नियत होते हुए दिनांक 24.05.2017 को नायब तहसीलदार निम्बीजोधा ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को अतिक्रमणी मानकर लगान के 0.55 का पचास गुणा से राशि 55/–रूपये अक्षरे पचपन रूपये जुर्माना आरोपित किया जाकर पटवार हल्का को वसूली हेतु तथा भू.अ.निरिक्षक को अपीलार्थी/अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार लेने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्व निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है। नकल निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश है।

—:अपील के आधार :—

1. यह है विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के उक्त चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 24.05 2017 पूर्णतया त्रुटि पूर्ण है तथा विधिक सिद्धान्तो के विपरीत है। एवंम जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के उक्त चुनौतिग्रस्त निर्णय मूल रूप से पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर ही संदारित है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त चुनौति ग्रस्त निर्णय दिनांक 24.05.2017 पारित किया है। प्रकरण मे जब अपीलार्थी द्वारा जबाब पेश करने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से पुनः मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश देने के बावजूद पटवारी हल्का से पुन रिपोर्ट प्राप्त नही होने के बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में बडी भूल की है चुनौतिग्रस्त निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के उक्त चुनौतिग्रस्त निर्णय मूल रूप से पटवारी हल्का भरनावा की उक्त रिपोर्ट पर ही संदारित है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त चुनौति ग्रस्त निर्णय दिनांक 24.05.2017 पारित किया है। प्रकरण मे अपीलार्थी के खेत में कटाणी रास्ता

[illegible] सड़क का निर्माण हो चुका है जिसका [illegible]

संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाया है। उक्त रास्ता अगर कटाण का नही तो ग्रेवल सड़क नही बनती। और सड़क बन गई तो अन्य कटाणी रास्ता अपीलार्थी के खेत में से नही है क्योकि मई 2012 में राज्य सरकार ने अपनी योजना के तहत कटाणी रास्ता का चोडा किया जाकर गांव झरडिया से मालगाव तक ग्रवेल सडक बनाई है इस बाबत विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने लैस मात्र भी घ्यान नही दिया और जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जिससे भी चुनौतिग्रस्त निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थी को साक्ष्य सबूत का अवसर देना चाहिये था तथा पत्रावली की आदेशिका मे आदेशनुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट पेश होने पर ही गुणवगुण से निर्णय पारित करना था मगर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की लैस मात्र भी अनुपालना नही की गई है। और जैर निर्णय पारित कर दिया जिससे भी चुनौतिग्रस्त निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि पटवारी हल्का के केवल एक आवेदन मात्र पर कानूनी प्रक्रिया को ताक मे रखकर बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया व धारा 91 की सुनवाई की कानूनी प्रक्रिया की लैस मात्र भी अनुपालना नही की है।

6. यह है कि अपीलार्थी के स्व. पिता दयाराम के समय खसरा नम्बर 55 की आथूणी सीव पर ही रास्ता कायम है और अपीलार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा लाखों रूपये खर्च कर ग्रेवल सडक का निर्माण करवाया गया है। अगर पटवारी द्वारा गलत रूप से भूमि का माप कर ग्रेवल का निर्माण करवाया है तो अपीलार्थी का कोई दोष नही है अपीलार्थी कानूनी कार्यवाही करेगा। अपीलार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही गलत है। तथा अपीलार्थी ने अपने कब्जे काश्त के अलावा सरकारी जमीन में कोई अतिक्रमण नही किया है।

7. यह है कि अपीलार्थी ने मौके पर कोई अतिक्रमण नही किया है पटवारी हल्का ने गांव के कुछ लोग जो अपीलार्थी से राजनैतिक द्वेषता रखते है उनके प्रभाव मे आकर यह झुठी कार्यवाही की है अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है।

8. यह है कि अपीलार्थी एक गरीब परिवार का सदस्य है। उसको आर्थिक तग व परेशान करने की नियत से यह कार्यवाही की गयी है।

3. यह है कि अहम आपतियॉ बहस के समय अदालत की इजाजत से निवेदन की

4. यह है कि अपील को सुनने व तय करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान का है

5. यह है कि अपील अन्दर मियाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का उक्त चुनौति ग्रस्त निर्णय दिनांक 24.05.2017 को पूर्णतया अपास्त कर अपीलार्थी के विरुद्व की गई उक्त धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही ड्रप करने का आदेश सादर फरमाये।

अपीलान्ट की यह अपील दिनांक 22.06.2017 को पेश हुई जो दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड प्राप्त जो शामिल मिसल किये गये।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयीं । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का भरनावां की रिपोर्ट पर अपीलान्ट डुंगर राम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी झरडिया तहसील लाडनू ने मौजा झरडिया के खसरा नम्बर 70 रकबा 4.01 किस्म गै.मु रास्ता में से रकबा 2.00 बीघा किस्म गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण करने पर नायब तसीलदार निम्बी जोधा ने प्रकरण संख्या 06/2017 दर्ज कर भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया गया, तथा अपने आदेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा बेदखली के आदेश दिये तथा 55/– रूपये जुर्माना आरोपित किया गया।

प0हल्का भरनावा ने भी दिनांक 24.5.17 के बयानो में बताया है कि डूंगरराम ने मौजा झरड़िया के ख0नं0 70 रकबा 4.01 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता में से रकबा 2 बीघा पर गैर सायल डुगरराम पुत्र दयाराम कोम जाट निवासी झरड़िया ने खेत में मिलाकर अतिक्रमण किया है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुवे निर्णय किया गया है यह अप्रार्थी डुंगरराम के आदेशिका पर हस्ताक्षर से साबित होता है। तथा अपीलान्ट ने यह बताया है कि पटवारी से पुनः रिपोर्ट ली जावे तो पटवारी के बयान दिनांक 25.5.17 को निर्णय किया उसी दिन के लिये गये जो शामिल मिसल है जिससे यह नही कह सकते कि पटवारी से रिपोर्ट नही ली गयी। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत व सुनवाई का समुचित अवसर देकर किया गया है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)